उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी का कार्यालय, गिरिडीह।

(जिला राजस्व शाखा)

ई–मेल :– ac-giridih@jharkhandmail.gov.in

डुमरी अंचल के अन्तर्गत खोलोचुवा/अकबकीटांड में सी0आर0पी0एफ0 कैम्प/पुलिस पिकेट अधिठापित करने हेतु Deemed Forest भूमि (जंगल–झाड़ी, जंगल सखुआ इत्यादि) के सम्बन्ध में अनापत्ती प्रमाण पत्र।

गैरमजरूआ Deemed Forest भूमि (जंगल–झाड़ी, जंगल सखुआ इत्यादि) भूमि जो निम्नवत है :–

क्रमांक	**अंचल**	**मौजा**	**थाना नं0**	**खाता नं0**	**प्लॉट नं0**	**रकवा (एकड़ में)**
1	डुमरी	खोलोचुवा	27	01	75	10.00

किस्म भूमि जंगल–झाड़ी कुल रकवा 10.00 एकड़ में सन्नहित है तथा अधिसूचित वन भूमि तथा संरक्षित वन भूमि एवं अन्य वन (Deemed Forest) भूमि से बाहर है, के अपयोजन हेतु मान्नीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आलोक में प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत् पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार से पूर्वानुमति प्राप्त की जानी है। पूर्वानुमति प्राप्त होने के पश्चात् इसके विधिवत हस्तान्तरण हेतु प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा गैरमजरूआ भूमि का हस्तांतरण प्रस्ताव की प्रक्रिया की तरह प्रस्ताव समर्पित किया जायेगा। गैरमजरूआ जंगल–झाड़ी (Deemed Forest) भूमि के सशुल्क हस्तान्तरण/लीज बन्दोबस्ती हेतु राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा राज्यादेश निर्गत किया जायेगा। डुमरी थानान्तर्गत ग्राम खोलोचुवा/अकबकीटांड उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र है, जो पारसनाथ पहाड़ से जुड़ा हुआ है। इसका विस्तार धनबाद एवं कोडरमा जिला होते हुए गया (बिहार) तक फैला हुआ है। पारसनाथ पहाड़ नजदीक होने के कारण उक्त ग्राम में नक्सलियों के लगातार भ्रमण करने की सूचना प्राप्त होते रहती है तथा दुरगम क्षेत्र होने के कारण रात्रि के समय में निरंतर सशस्त्र माओवादी दस्ता पारसनाथ क्षेत्र में भ्रमणशील रहते है जिससे आम जनो का जाल–माल की क्षति का भय रहता है। उपरोक्त क्षेत्र का जंगल निकटवर्ती जिलों से सटे रहने के कारण प्रायः घटनाओं का अंजाम देकर नक्सली दूसरे जिले में प्रवेश कर जाते है। उक्त स्थल परं पुलिस/सी0आर0पी0एफ0 पिकेट अधिष्ठापित किया जाना नितांत आवश्यक है। पुलिस अधीक्षक, गिरिडीह को इस शर्त के साथ Conditional अनापत्ती प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है कि प्रश्नगत भूमि की मूल्य की गणना

प्रतिवेदन उपलब्ध कराये जाने के तुरंत बाद मूल्यांकित राशि जमा करना अनिवार्य होगा।

सामान्य कार्यालय अधीक्षक, समाहरणालय, गिरिडीह।	अपर समाहर्त्ता, गिरिडीह।	उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी, गिरिडीह।

ज्ञापांक 1962 / रा० दिनांक 02 / 09 / 2021

प्रतिलिपि : पुलिस अधीक्षक, गिरिडीह को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : वन प्रमण्डल, पदाधिकारी, गिरिडीह पूर्वी एवं पश्चिमी वन प्रमण्डल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : सरकार के सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, रॉची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : आयुक्त, उत्तरी छोटानागपुर प्रमण्डल, हजारीबाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, एन0आई0सी0, गिरिडीह को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। कृपया जिला के वेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित किया जाय।

सामान्य कार्यालय अधीक्षक, समाहरणालय, गिरिडीह।	अपर समाहर्त्ता, गिरिडीह।	उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी, गिरिडीह।